प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

प्रीमियम मोल्डिंग्स एंड प्रेसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को 07.08.2018 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 10 के सामने दिए गए पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रमाण के साथ दावों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रमाण के साथ जमा करना होगा। अन्य सभी लेनदारों को पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रमाण के साथ दावों को जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर जुर्माना लगेगा।

हस्ता./-
सुधीर कालरा
अंतरिम संकल्प पेशेवर का नाम और हस्ताक्षर

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.07.2018

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 98(पीबी) के 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

तथा

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की योजना के मामले में

तथा

मामले में :

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, टॉवर-1, जीवन भारती, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है ...**आवेदक कंपनी-1/अंतरक कंपनी**

तथा

भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है ...**आवेदक कंपनी-2/अंतरिति कंपनी-1**

तथा

भारती हैक्साकॉम लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है ...**आवेदक कंपनी-3/अंतरिति कंपनी-2**

भारती एयरटेल लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक के आयोजन हेतु अधिकरण की सूचना का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 14 जून, 2018 (**''आदेश''**) के द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (**''अधिकरण''**) की माननीय प्रमुख पीठ, नई दिल्ली ने निर्देश दिया है कि भारती एयरटेल लिमिटेड (अंतरिति कंपनी-1) के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 230 से 232 के अंतर्गत टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, अंतरिति कंपनी-1 तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की प्रस्तावित योजना (**''योजना''**) पर विचार किया जाये तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि अंतरिति कंपनी-1 के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक आशियाना पर्ल रिट्रीट, छतरपुर मन्दिर रोड, सतबारी I, नई दिल्ली-110034 में मंगलवार, 28 अगस्त, 2018 को अप: 1:30 बजे (**''बैठक''**) आयोजित की जायेगी। जिसमें अंतरिति कंपनी-1 के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि उस स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उसमें उपस्थित हों।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत कथित योजना की प्रतियां एवं विवरण अंतरिति कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 और/या प्लॉट नं. 98, सेक्टर-4, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश में स्थित इसके अधिवक्ता मैसर्स एजेडबी एवं पार्टनर्स के कार्यालय से किसी भी दिवस (शनिवार, रविवार, एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य व्यक्तिगत या प्रॉक्सी द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा विधिवत् पूर्ण हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी अंतरिति कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जमा की जाये। प्रॉक्सी का प्रपत्र अंतरिति कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय एवं / अथवा अधिवक्तागण के कार्यालय, जैसा ऊपर वर्णित है, से किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

माननीय अधिकरण ने श्री अनंत पाली, अधिवक्ता को बैठक के, किसी भी स्थगन सहित, अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में श्री संदीप विरमानी, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, वैकल्पिक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। अधिकरण ने श्री विवेक गोयल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को, भी बैठक के किसी भी स्थगन सहित, पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। योजना, यदि बैठक में स्वीकृति की जाती है तो यह माननीय अधिकरण के अनुवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
ह./-
रोहित कृष्ण पुरी
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक: 27 जुलाई, 2018
स्थान: नई दिल्ली

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य व्यक्तिगत या प्रॉक्सी द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा विधिवत् पूर्ण हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी अंतरिति कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जमा की जाये। प्रॉक्सी का प्रपत्र जैसा ऊपर वर्णित है अंतरिति कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय एवं / अथवा अधिवक्तागण के कार्यालय से किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

माननीय अधिकरण ने श्री अनंत पाली, अधिवक्ता को बैठक के, किसी भी स्थगन सहित, अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में श्री संदीप विरमानी, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, वैकल्पिक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। अधिकरण ने श्री विवेक गोयल, चार्टर्ड एकाउंटेंट को, भी बैठक के किसी भी स्थगन सहित, पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। योजना, यदि बैठक में स्वीकृति की जाती है तो यह माननीय अधिकरण के अनुवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

एतद्द्वारा अग्रसर सूचित किया जाता है कि, कंपनी द्वारा (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) नियम 20 तथा 22, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा अधिनियम लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में अंतरिति कंपनी-1 ने सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपना मतदान (पक्ष या विपक्ष में) करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों को पोस्टल बैलट तथा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। तद्नुसार, इक्विटी शेयरधारक पोस्टल बैलट प्रपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से (अर्थात् ई-वोटिंग) द्वारा मतदान कर सकते हैं तथा इस संदर्भ में इक्विटी शेयरधारक ध्यान रखें कि

- अपने सभी इक्विटी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंतरिति कंपनी-1 ने मै. कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड (**''कार्वी''**) की सेवाएं प्राप्त की हैं।
- परोक्षी प्रपत्र, उपस्थिति पर्ची तथा डाकीय मतपत्र जो अधिसूचना का अंश है (समेत, अधिसूचना) सहित व्याख्यायित वक्तव्य, योजना व अन्य अनुलग्नकों के साथ सभा से संबंधित अधिसूचना अंतरिति कंपनी-1 की वेबसाइट www.airtel.com पर उपलब्ध है।
- अंतरिति कंपनी-1 ने उन सभी शेयरधारकों को जिन्होंने अंतरिति कंपनी-1 व डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स के यहाँ अपना ई-मेल परिचयक पंजीकृत नहीं कराया है, अधिसूचना पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दी है तथा उन सभी शेयरधारकों को जिन्होंने अपना ई-मेल परिचयक अंतरिति कंपनी-1 और/या डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स के यहां पंजीकृत करा रखा है, जिनके नाम कार्वी की ओर से शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018 को प्राप्त सदस्य/लाभार्थी स्वामी की सूची में अंकित हैं, को अधिसूचना इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेषित कर दी है।
- पोस्टल बैलट तथा ई-वोटिंग के लिए वोटिंग अवधि रविवार, 29 जुलाई, 2018 को 9:00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा सोमवार, 27 अगस्त, 2018 को 5:00 बजे सायं में बंद होगी। इस अवधि के दौरान शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018, जो कि कट ऑफ तिथि है, को भौतिक पद्धति या डिमैटिरियलाइज्ड पद्धति में इक्विटी शेयरधारित करने वाले इक्विटी शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना मतदान (पक्ष या विपक्ष में) कर सकते हैं।
- यांछित विवरणों को भरकर तथा अधिकतम सोमवार, 27 अगस्त, 2018 को सायं 5:00 बजे तक पर्यवेक्षक के पास व्यापारिक जवाबी लिफाफा में विधिवत् पूर्ण तथा हस्ताक्षरित पोस्टल बैलट प्रपत्र भेजकर इक्विटी शेयरधारक पोस्टल बैलट द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मतदान कर सकते हैं। उस अवधि के बाद प्राप्त किसी भी पोस्टल बैलट प्रपत्रों के संदर्भ में यह माना जायेगा कि संबंधित इक्विटी शेयरधारकों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।
- कोई भी इक्विटी शेयरधारक भौतिक पद्धति या पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं। यदि इक्विटी शेयरधारक उपरोक्त किसी एक पद्धति द्वारा मतदान करने का चयन करते हैं तो इक्विटी शेयरधारक किसी भी अन्य पद्धति से मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि कोई इक्विटी शेयरधारक दोनों पद्धतियों अर्थात् पोस्टल बैलट के साथ ई-वोटिंग द्वारा मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग द्वारा किया मतदान लागू रहेगा तथा उस इक्विटी शेयरधारक का पोस्टल बैलट अवैध माना जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-वोटिंग या पोस्टल बैलट द्वारा मतदान कर देने के बावजूद इक्विटी शेयरधारक बैठक में शामिल हों। लेकिन कोई भी इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने ई-वोटिंग या पोस्टल बैलट द्वारा मतदान किया हो तो बैठक में फिर से मतदान नहीं कर सकते हैं।
- अंतरिति कंपनी-1 ऐसे इक्विटी शेयरधारकों को बैठक में मत-पत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है जिन्होंने पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो।
- ई-वोटिंग तथा पोस्टल बैलट के लिए मताधिकार की गणना शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018 को इक्विटी शेयरधारक के नाम में पंजीकृत इक्विटी शेयरों की प्रदत्त मूल्यों के आधार पर की जायेगी तथा जो व्यक्ति उस तिथि को शेयरधारक नहीं है, वो केवल जानकारी के लिए इस सूचना को देखें।
- सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान के परिणामों की घोषणा बृहस्पतिवार, 30 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व की जायेगी। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ मतदान के परिणामों को अंतरिति कंपनी-1 के पंजीकृत कार्यालय तथा उसकी वेबसाइट (www.airtel.com) साथ ही साथ कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त अंतरिति कंपनी-1 जहां सूचीबद्ध है, उन स्टॉक एक्सचेंजों जैसे बीएसई तथा एनएसई में अग्रसारित किया जायेगा।
- जिन इक्विटी शेयरधारकों को पोस्टल बैलट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो तथा जो डुप्लीकेट प्रपत्र प्राप्त करना चाहते हों, वे अंतरिति कंपनी-1 पर आवेदन कर सकते हैं या अंतरिति कंपनी-1 की वेबसाइट (www.airtel.com) से डाउनलोड कर सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सहित मतदान से संबंधित किसी भी पूछताछ/समस्याओं के लिए सदस्य कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com में उपलब्ध एफएक्यू सैक्शन देखें अथवा 040-67161522 पर e-voting@karvy.com पर या 1-800-34-54-001 (टोल फ्री) कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सिलेनियम, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31-32 गचीबाउली, फाईनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 के मैनेजर, श्री रमेश देसाई से संपर्क करें।

भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
ह./-
रोहित कृष्ण पुरी
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक: 27 जुलाई, 2018
स्थान: नई दिल्ली

पता लगाएगी।

गोशाला में है 1400 से

उपायुक्त के मुताबिक घुम्म
आचार्य सुशील गोसदन ट्रस्ट
गोशाला संचालित है। यहां 1400

बेरोजगारी के लि
31 को आंदो

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

बेरोजगार युवाओं के लिए '
एकता मंच' की ओर से जारी
हर दस मिनट में एक युवा खुद
खिलाफ चल रही मुहिम से जोड़
अध्यक्ष जगप्रवेश ने यह जानकारी
कि 31 जुलाई को मंच तालकटो
बेरोजगार युवाओं का विशाल
है, जहां उनके बीच शिखर संवाद
ने कहा कि 31 जुलाई का
इतिहास में एक घटना के रूप में

आंध्र प्रदेश
लेकर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आंध्र प्रदेश के लिए विशेष
लेकर शुक्रवार को एक शख्स
एक मोबाइल टावर पर चढ़
पहचान उमा महेश रेड्डी (25) के
इसकी सूचना सुबह करीब 11:45
दी गई। सूचना मिलने पर नई दिल्
के आला अधिकारी और अग्निश

कार्यालय प्रधान
(मीन
सतपुड़ा
Office Phone: 0755-2524

जी.आई.एम./2018/219
NOTICE F

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल के
Expert" के पद के लिए आवेदन
सकते हैं। अधिक जानकारी विभाग
के बारे में विवरण किसी भी कार्य
से भी प्राप्त किया जा सकता है।
तक है।

G-16696/18 1090/ MPeCOP